न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 13/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/47

प्रार्थी:–

1. सावलराम पुत्र हेमाराम जाति सीरवी निवासी प्रतापगढ तहसील रानी जिला पाली
2. वदिया पुत्री हेमाराम पत्नी सेसाराम निवासी प्रतापगढ़, हाल निवासी सापूनी, तहसील रानी जिला पाली
3. दरिया देवी पुत्री हेमारा पत्नी कालूराम जाति सीरवी निवासी प्रतापगढ हाल निवासी बूसी तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हीराराम पुत्र हेमाराम चौधरी, निवासी प्रतापगढ, तहसील रानी जिला पाली
2. लीला पुत्री हेमाराम पत्नी कानाराम, जाति सीरवी, निवासी प्रतापगढ हाल निवासी प्रतापगढ तहसील रानी जिला पाली
3. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत निम्बाड़ा, तहसील रानी जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 13.02.2013 एवं उसकी पालना में हीराराम पुत्र हेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 13.02.2013 के विरूद्ध पेश की हैं। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम प्रतापगढ की आबादी भूमि में प्रार्थी का पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल पर सरपंच, ग्रामसेवक एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पेश नहीं किया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण आदेशिका एक ही दिन में लिखी गई, गवाहों के बयान किस दिनांक को लिये गये अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र पेश किया था, जिसके पश्चात ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये जैर निगरानी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा जारी करते समय यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई तकनीकी रूप से से त्रुटि रह जाती है तो इस आधार पर उक्त पट्टे को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिये न्यायहित में अप्रार्थी का पट्टा यथावत रखते हुये प्रार्थी की जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 13.02.2013 एवं उसकी पालना में हीराराम पुत्र हेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 13.02.2013 के विरूद्ध पेश की हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रिया वर्णित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनविक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आंवटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय–विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है।

जैर निगरांनी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया और उस पर किसी दिनांक का अंकन नहीं हैं। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका पूर्व से लिखी हुई आदेशिका की प्रति हैं, जिसमें न तो किसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक का अंकन है और न ही किसी के हस्ताक्षर है, साथ ही सम्पूर्ण आदेशिका में खाली जगह छोडी हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि का नक्शा, मौका निरीक्षण प्रपत्र, आपित्त इश्तिहार सभी खाली प्रपत्र है, किसी पर कोई भी तथ्य अंकित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो गवाहों के बयान लिये गये है उसमें प्रश्नगत भूमि की कोई जानकारी अंकित नहीं है। सम्पूर्ण मिसल में यथा आदेशिका, नक्शा, भूमि निरीक्षण प्रपत्र, आपत्ति इश्तिहार पट्टा आदि कही पर भी न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही कोरम के किसी सदस्य के हस्ताक्षर है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर न ही नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है और न ही सरपंच के हस्ताक्षर एवं गोल मोहर है तथा सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल एक व्यक्ति के हस्ताक्षर है, उसकी भी वल्दियती अंकित नहीं है। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखीं की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत निम्बाडा द्वारा संकल्प संख्या 01 दिनांक 13.02.2013 एवं उसकी पालना में हीराराम पुत्र हेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 13.02.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली